न्यायालय,समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0.......................................से...

जिला–खगड़िया..................................,सा0...,सन्..............................

केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्याः–165/2018 राज्य बनाम रेल थाना खगड़िया कांड संख्याः–46/2018

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–सहित 3.
11.08.2018	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत रेल थाना खगड़िया में दर्ज कांड संख्याः–46/2018 दिनांक 21.07.2018 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार के पत्रांक 309/हि0शा0उ0, दिनांक 06.08.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न रेल थानाध्यक्ष, खगड़िया का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 180 एम0एल0 का 37 (सैतीस) बोतल, एवं 375 एम0एल0 का 24 (चौवीस) बोतल विदेशी शराब कुल–15.66 लीटर विदेशी शराब रेल थाना खगड़िया के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल थाना, खगड़िया के मालखाना में रखी गई कुलः–15.66 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए रेल थाना, खगड़िया में दर्ज कांड संख्याः–46/2018 कांडों के आधार पर जप्त की गई कुल–15.66 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए ततसंबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार/रेल थानाध्यक्ष, खगड़िया /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित। 11/8/18 समाहर्त्ता, खगड़िया। [Stamp: न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया] 11/8/18 समाहर्त्ता, खगड़िया।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03.
	डी0 बी0 नं0......500....../विधि, दिनांक......16-8-2018...... प्रतिलिपिः–रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार/रेल थानाध्यक्ष, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया।	